

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).

[Land Dispute (Basgit Parcha) Appeal Case No.- 272 /2014]

Bibi Khatun Nisha.....Appellant

Versus

The State of Bihar & Anr.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	<u>09.8.2025</u>	<p>प्रस्तुत भूमि विवाद अपील न्यायालय समाहर्ता, सुपौल के वासगीत पुनरीक्षण वाद संख्या-197/2011 (मो0 वसीम बनाम बीबी खातुन निशा) में दिनांक-25.1.2014 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षी की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है।</p> <p>दिनांक-26.7.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र तथा Written Argument में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है।</p> <p>अपीलार्थी की ओर से Board Miscellaneous rules के धारा-10(3) के अनुसार अन्तर्गत प्रस्तुत वाद दायर किया गया है। Board Miscellaneous rules के धारा-10 में अंकित है कि- "Commissioners are authorized to issue circular orders to their subordinates on questions of procedure and general practice. A copy of very such circular should, when it relates to revenue matters, be transmitted to the Board of Revenue, and, in other cases to Government." जबकि विपक्षी का कहना है कि बिहार विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति वास भूमि अधिनियम-1947 के धारा-18 के अनुसार यह वाद सुनवाई योग्य नहीं है। Bihar privileged persons homestead tenancy Act, 1947 के धारा-18 में स्पष्ट नियमन दिया गया है कि- "The orders passed under this Act. shall be final. Subject to the provisions of Section 21, all orders passed by the Collector in any proceeding under this Act shall be final, and no suit shall lie in any Civil Court to vary or set aside any such order except on the ground of fraud or want of jurisdiction."</p> <p>Board Miscellaneous rules के धारा-3 में अंकित है कि "A higher authority has all the powers of any lower authority and, further may, with or without appeal, modify or reverse any orders passed by lower authority, in a matter primarily with in the competence of the lower authority, unless, by any law, the orders of the lower authority are final."</p> <p>उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं उपस्थापित कागजातों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय (समाहर्ता, सुपौल) द्वारा वासगीत पुनरीक्षण वाद संख्या-197/2011 में दिनांक-25.1.2014 को पारित पारित आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में Appeal/Revision का प्रावधान निरूपित नहीं है। अतः तदनुसार इस अपील वाद को खारिज किया जाता है।</p> <p>इस आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजें। LCR निम्न न्यायालय को वापस भेजें।</p> <p>लेखापित एवं शुद्धित।</p> <p><u>Bye L.</u> 09/8/25. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा।</p>	